पत्र संख्या-स्था-6-सामान्य शासनादेश पृष्ठांकन-100/2015 /2018-19 // 3267 // वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ// दिनांक // 05 अक्टूबर, 2018

-::कार्यालय ज्ञाप::-

कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-13(2)2015/-का-1-2015 दिनांक 12-08-2015 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा लिपिक संवर्ग में कार्यरत / प्रशासनिक अधिकारी / वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी व मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को राजपत्रित अधिकारी की प्रतिष्ठा प्रदान की गई है, जिसके क्रम में संस्थागत वित्त एवं कर अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0-2716/11-3-2015 दिनांक 09-10-2015 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा भी उक्त पदों का राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।

उक्त के क्रम में शासन / एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के मतानुसार प्रशासनिक अधिकारी व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर कार्यरत अधिकारियों को तदर्थ बोनस दिये जाने की व्यवस्था अनुमन्य नहीं है। अतः इस संबंध में आपको निर्देश दिये जाते है कि वर्तमान में प्रशासनिक अधिकारी / वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत कार्मिकों को संगतवर्ष के लिए बोनस न दिया जाए तथा कार्मिक विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप दिनांक 12-08-2015 के निर्गत होने के पश्चात उक्त पद धारक अधिकारियों को यदि बोनस का भुगतान किया गया हो, तो तद्नुसार उनसे वसूली / कटौती कर राजकीय कोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

ह0

(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0 एवं दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर उ0प्र0।
2- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (सर्वोच्च न्यायालय/ उच्च न्यायालय कार्य)वाणिज्य कर, गाजियाबाद/ लखनऊ/इलाहाबाद।
3- अपर निदेशक (प्रशिक्षण संस्थान) वाणिज्य कर, गोमतीनगर, लखनऊ।
4- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
6- समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को अनुपालनार्थ।
7- ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0)वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय बेवसाइड पर अपलोड किये जाने हेतु।

04/10/18

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या–2716 / 11–3–2015

प्रेषक,

प्रभु शंकर,
विशेष कार्याधिकारी,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0,लखनऊ।	2–आयुक्त, मनोरंजन कर, उ0प्र0,लखनऊ।	3– निबन्धक, वाणिज्य कर, अधिकरण उ0प्र0,लखनऊ।

संस्थागत वित्त एवं कर अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 9 अक्टूबर,2015

विषयः लिपिकीय संवर्ग के प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद को राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन कार्मिक अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–13(2)2015 / का–1–2015 दिनांक 12–08–2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रदेश के समस्त सरकारी विभागों में कार्यरत लिपिकीय संवर्ग के प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैण्ड–2 रू0 9,300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4600), वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैण्ड–2 रू0 9,300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4800) तथा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैण्ड–3 रू0 15,600–39100 ग्रेड वेतन रू0 5400) के पद को राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान की गयी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया कार्मिक विभाग के उक्त पत्र दिनांक 12–08–2015 का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

(प्रभु शंकर)
विशेष कार्याधिकारी।

2716/11-315

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-1
संख्या-13(2)2015/का-1-2015
लखनऊ :: दिनांक 12 अगस्त, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

विषय:- लिपिकीय संवर्ग के प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद को राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान किये जाने के सम्बंध में।

3035/ VS(H)

वित्त विभाग द्वारा अध्यारोही प्रभाव की उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली, 2014, दिनांक 22.09.2014 को अधिसूचित की गयी है। उक्त नियमावली में प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैण्ड-2, रूपये 9300-34800, ग्रेड वेतन रूपये 4600/-), वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैण्ड-2, रूपये 9300-34800, ग्रेड वेतन रूपये 4800/-) तथा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैण्ड-3, रूपये 15600-39100, ग्रेड वेतन रूपये 5400/-) के पद भी सम्मिलित हैं।

13-8-15 (बिरेश कुमार) प्रमुख सचिव वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग उ०प्र० शासन

2- शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के समस्त सरकारी विभागों में कार्यरत लिपिकीय संवर्ग के प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैण्ड-2, रूपये 9300-34800, ग्रेड वेतन रूपये 4600/-), वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैण्ड-2, रूपये 9300-34800, ग्रेड वेतन रूपये 4800/-) तथा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैण्ड-3, रूपये 15600-39100, ग्रेड वेतन रूपये 5400/-) के पद को राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान की जाती है।

14-8-15 (हरेन्द्र वीर सिंह) विशेष सचिव वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग उ० प्र० शासन।

आज्ञा से,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-13(2)2015(1)/का-1-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश सरकार के निजी सचिव।
7. महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
8. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
9. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
10. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(योगेश चन्द्र)
विशेष सचिव।